

क्रमांक:-Q-18

भोपाल, दिनांक:-01-04-2020

विषय :- COVID-19 राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था के अधीन अनुमति के संबंध में संशोधन बाबत।

संदर्भ :- I-कार्यालय का परिपत्र क्रं0-Q-5 भोपाल, दि0-25-03-2020.

II-कार्यालय का परिपत्र क्रं0-Q-8 भोपाल, दि0-27-03-2020.

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं, कि :-

1- संदर्भ क्रमांक-II (परिपत्र क्रमांक-Q-8) के द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता/पक्षकारों द्वारा जो विवरण दिया जाना आवश्यक बताया गया है, वैसा पूर्ण विवरण कई अधिवक्ताओं/पक्षकारों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अतः अनुमति हेतु E-Mail करते समय यह सुनिश्चित कर लें, कि पूरा विवरण दे दिया गया है अन्यथा स्थिति में अनुमति दिया जाना संभव न होगा।

2- संदर्भ क्रमांक-II (परिपत्र क्रमांक-Q-8) में दिया गया 12:00 बजे तक का समय संशोधित करते हुये निर्देश दिया जाता है, कि प्रातः 10:00 बजे तक E-Mail I.D.:dcourtbo@nic.in पर जिन अधिवक्ताओं और पक्षकारों द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जावेगा, उन्हें ही उस दिन की अनुमति दी जाना संभव होगा। जिस दिनांक के लिये अनुमति दी गई है, उसके अलावा किसी अन्य दिनांक के लिये वह अनुमति मान्य नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि एक मामले में एक साथ एक से अधिक दिनाकों के लिये अनुमति नहीं मांगी जावेगी और एक मामले के लिये दी गई अनुमति दूसरे मामले के लिये मान्य नहीं होगी।

ॐ

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल, म0प्र0


भोपाल, दिनांक:-01-04-2020

क्रमांक:-Q-18

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5- कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

- 6- पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त थाना-प्रभारियों को निर्देशित करें, कि निर्धारित समय में ही केस-डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।
- 7- प्रमारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।
- 8- अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा-भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- संचालक, जन-सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार-पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।
- 10- प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- 11- जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला-भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।


राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म०प्र०